D.I.O.

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपूर्ति शखा)

पत्रांक.............

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा/उदाकिशुनगंज।

मधेपुरा, दिनांक................................

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांक 337/आ0 दिनांक 13.08.2014 एवं 04 दिनांक 02.1.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण किया जाय, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के संबंध में प्रधान सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के अर्द्ध सरकारी पत्र सं0–6244 दिनांक 07.08.2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र आपको प्रेषित करते हुए राशन कार्ड की वितरण से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई थी। परन्तु इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बावजुद भी वांछित प्रतिवेदन अवतक आपसे अप्राप्त है। आपसे प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण तत्संबंधी प्रतिवेदन अवतक विभाग को नही भेजा जा सका है। सुलभ प्रसंग हेतु विहित प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न।

विदित हो कि वांछित प्रतिवेदन हेतु सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 1642 दिनांक 24.02.2015 से स्मार पत्र प्राप्त हुई है।(छाया प्रति संलग्न)

अतः विषय की गंभीरता को देखत हुए अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में प्रखंडवार/नगर निकायवार राशन कार्ड से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि समेकित कर वांछित प्रतिवेदन विभाग को ससमय भेजा जा सकें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन

ह0/-

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 283/आ0 दिनांक 14.03.15

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अपने–अपने प्रखंड से वांछित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लौटती डाक से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही वांछनीय नही होगी।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक मधेपुरा जिला को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत के प्रखंड विकास पदाधिकारी से व्यक्तिगतरुप से सम्पर्क स्थापित कर वांछित प्रतिवेदन लौटती डाक से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इसके लिए आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं बिज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ। अनुरोध है कि सभी संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

14/03/15

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।